


जनचेतना का प्रगतिशील कथा-मासिक

ISSN 2454-4450

मूल्य ₹ 60

हर

सितंबर 2024



संपादक
संजय सहाय

प्रबंध निदेशक
रचना यादव

व्यवस्थापक/सह-संपादन सहयोग
वीना उनियाल

संपादन सहयोग
शोभा अक्षर
माने मकर्तच्यान(अवैतनिक)

प्रसार एवं लेखा प्रबंधक
हारिस महमूद

शब्द-संयोजन एवं रूपांकन
प्रेमचंद गौतम

ग्राफिक्स
साद अहमद

सोशल मीडिया
शैलेश गुप्ता

कार्यालय सहायक
किशन कुमार, दुर्गा प्रसाद

मुख्य प्रतिनिधि (उ.प्र.)
राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल

रेखाचित्र
अनुभूति गुप्ता, रोहित प्रसाद, आस्था,
कृष्ण कुमार 'अजनबी'

कार्यालय
अक्षर प्रकाशन प्रा. लि.
4229/1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2
व्हाट्सएप : 9717239112, 9560685114
दूरभाष : 011-41050047
ईमेल : editorhans@gmail.com
वेबसाइट : www.hanshindimagazine.in

मूल्य : 60 रुपए प्रति
वार्षिक : 700 रुपए (व्यक्तिगत)
रजिस्टर्ड : 1100 रुपए
संस्था/पुस्तकालय : 900 रुपए (संस्थागत)
रजिस्टर्ड : 1300 रुपए
विदेशों में : 80 डॉलर
सारे भुगतान मनीऑर्डर/चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा
अक्षर प्रकाशन प्रा. लि. (Akshar Prakashan
Pvt. Ltd.) के नाम से किए जाएं.

हंस/अक्षर प्रकाशन प्रा.लि. से संबंधित सभी विवादास्पद
मामले केवल दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे. अंक में
प्रकाशित सामग्री के पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित
अनुमति अनिवार्य है. हंस में प्रकाशित रचनाओं में विचार
लेखकों के अपने हैं. उनसे हंस की सहमति अनिवार्य
नहीं है. साथ ही उनके मौलिक या अप्रकाशित होने का
उत्तरदायित्व संपादक और प्रकाशक का नहीं है बल्कि
यह दायित्व रचनाकार का है.

प्रकाशक/मुद्रक : रचना यादव खन्ना द्वारा अक्षर प्रकाशन
प्रा.लि., 4229/1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई
दिल्ली-110002 के लिए प्रकाशित एवं चार दिशाएं,
जी-39/40, सेक्टर-3, नोएडा- 201301 (उ.प्र.) से मुद्रित.
संपादक-संजय सहाय.

सितंबर, 2024

मूल संस्थापक : प्रेमचंद : 1930
पुनर्संस्थापक : राजेन्द्र यादव : 1986

पूर्णांक-455 वर्ष : 39 अंक : 2 सितंबर 2024



आवरण : अशोक अंजुम



जनचेतना का प्रगतिशील कथा-मासिक

इस अंक में

संपादकीय

4. जब आग लगी हो घर में... : संजय सहाय

अपना मोर्चा

6. पत्र

न हन्यते

9. इतिहास की गुफा से आती एक प्रखर आवाज
सदा के लिए गुम हो गई : गीताश्री

मुड़-मुड़ के देख

11. एक और चेहरा : विभांशु दिव्याल
(‘हंस’, नवंबर 1986)

आने वाले दिनों के सफ़ीरों के नाम

18. ‘मैं गुलाबी फेमिनिस्ट हूँ’ : ममता कालिया
(ममता कालिया से प्रत्यक्षा का संवाद)

अभी दिल्ली दूर है

28. न दूर, न पास - न अभी, न कभी :
अशोक वाजपेयी

कहानियां

38. गायब होती दुनिया : आनंद हर्षुल
44. मालकिन : राजा सिंह
50. छिन्नमस्ता : संजय कुमार सिंह
56. भीतर बहुत भीतर : विवेक मिश्र
62. मै'म, यू आर लॉव्ड! : विभा रानी
72. छायायुद्ध : अनिता अग्निहोत्री (बांग्ला कहानी)
(अनुवाद : लिपिका साहा)

लघुकथा

8. विनय मोघे 87. श्यामबाबू शर्मा

कविताएं

70. अर्चना लार्क, गरिमा सिंह
71. ब्रज श्रीवास्तव, योगेश कुमार ध्यानी

आधुनिक पाश्चात्य दर्शन और साहित्य

78. आधुनिक साहित्य की विकास यात्रा :
प्रभात रंजन

गज़ल

17. भवेश दिलशाद 37. निसार राही
77. इरशाद खान सिकन्दर 81. अभिनव अरुण

परख

82. स्त्री-लेखन का समकाल : अनामिका
85. उपभोक्ता संस्कृति एवं पुरुषसत्ता के
अहंकार का तिरस्कार : राम विनय शर्मा

शब्दवेधी/शब्दभेदी

88. यह धार्मिक भावना नहीं, धूर्तों की चाल है :
तसलीमा नसरीन

साहित्यनामा

91. मन रे कागद कीरि पराया : साधना अग्रवाल

रेतघड़ी

95.



जब आग लगी हो घर में...

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ घटा, वह मानवता के माथे पर कलंक है. मानो यह कलेजा चीर देने वाली घटना कम थी कि कुछ ही दिनों के भीतर एक अराजक भीड़ ने उसी मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करते छात्रों पर धावा बोल दिया! बंगाल के विपक्ष का दावा है कि वे ममता के गुंडे थे. यदि वाकई ऐसा है तो इससे अधिक शर्मनाक आचरण किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता. इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, कम है! अस्पताल के प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन तक की आपराधिक असंवेदनशीलता उनकी सक्रिय संलिप्तता का संदेह भी पैदा करती है. आखिर मुख्य अभियुक्त उनका प्यारा संजय रॉय उनके लिए ही तो मुखबिरी करता था! अपराध की दुनिया के इस बिचौलिए के लिए समय-बेसमय अस्पताल के दरवाजे खुले रखना, उसका वहां बैठकर शराब पीना, अस्पताल में एक दलाल की तरह लोगों की भर्ती करा पैसे कमाना आदि से जो तस्वीर उभरती है, वह देश का सर शर्म से नीचा कर देती है. अस्पतालों में, विशेषकर सरकारी अस्पतालों में दलाली का धंधा न तो नया है, ना ही बंगाल की धरती तक ही सीमित है. अस्पताल हो या अन्य संस्थान, पूरा देश इस समानांतर अर्थव्यवस्था या कहें कि दलाल-व्यवस्था की जकड़ में है—संभवतः आजादी के पहले से ही! खैर, अस्पतालों में चल रही इस दलाल-व्यवस्था में वहां के चिकित्सकों की भागीदारी न हो यह संभव ही नहीं. उनकी संलिप्तता के बगैर यह रैकेट चल ही नहीं सकता. स्थानीय प्रशासन से लेकर सत्ता में बैठे लोग इससे भरपूर लाभ तो कमाते ही हैं.

यह महज एक ट्रेनी डॉक्टर का मसला न होकर स्त्री पर प्रभुत्व जमाने की वीभत्स पुरुष मानसिकता का मामला है. ईमानदारी से सोचें तो हम पाएंगे कि तमाम कानूनों के बावजूद सरकारी/गैर-सरकारी कार्यस्थलों सहित थाने, कचहरी से लेकर न्यायालयों तक हम लिंग पूर्वाग्रहों से किंचित भी मुक्त नहीं हो पाए हैं. उदार से उदार दिखने वाले पुरुष भी कहीं न कहीं पुरुषवादी

जुमले बोलते नजर आ जाएंगे. यह पुरुष वर्चस्ववादी संस्कार का हिस्सा है जो इस व्यवस्था में रच बस गई माताओं के दूध और परिवार-प्रधान के पेशाब से नई पीढ़ी को मिलता है.

बहरहाल, डॉक्टरों की मुश्किलात पर सर्वोच्च न्यायालय में विवेचना जारी है. उनके लिए नितांत जरूरी सुरक्षा पर जल्द ही कोई स्वागत योग्य निर्णय होगा. इसी तर्ज पर मरीजों के लिए, खासकर गरीब-गुरबा आवाम के लिए अस्पतालों की बदतमीजियों, बेईमानियों और दलालों के चंगुल से सुरक्षा दिलवाने पर भी कायदे-कानून बनने चाहिए. मिलाई, यह भी उतना ही स्वागत योग्य कदम होगा!

इन सबके बीच महाराष्ट्र में बदलापुर के एक विद्यालय में तीन और चार वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म का जघन्य मामला भी प्रकाश में आया है, जिसमें स्थानीय पुलिस-प्रशासन पीड़िता के अभिभावकों को घंटों विद्यालय से थाने तक दौड़ाते रहे और जब इस मामले ने खासा तूल पकड़ लिया, कलकत्ता की तर्ज पर जब सरकार की किरकिरी होने लगी तभी मुश्किल से एफ.आई. आर. दर्ज हुई और एक सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया. सवाल यह पैदा होता है कि विद्यालय में बच्चियों को बाथरूम तक ले जाने के लिए कोई भी महिला कर्मचारी क्यों नहीं थी? वहां के विद्यार्थी लगातार निगरानी में क्यों नहीं थे? बड़े-बड़े दावों वाले स्मार्ट शहरों के क्लोज सर्किट कैमरे घटना के वक्त क्यों आंखें मूंद लेते हैं, यह बात समझ से परे है. और इस जनाक्रोश पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निहायत बचकाना बयान कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड (राजनीति से प्रेरित) है—उन्हें और भी निंदनीय बना देता है! जाहिर है कि अपनी अकड़ में सूबे के जल जाने की परवाह उन्हें भी नहीं है. हर सत्ताधारी दल को जघन्य घटनाओं पर फूटने वाले गुस्से में विपक्ष का षड्यंत्र दिखाई देने लगता है, और जहां-जहां वे खुद उस गुस्से को भुना रहे होते हैं, वहां वे उसे जनप्रतिनिधि का परम कर्तव्य बताते हैं. होना